दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण),
'बी' बिल्डिंग, वरूणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005

क्रमांक:दिजबो / स0 आ0 (श्र.क.) / छात्रवृत्ति / 2015–16 / 124940to125204 दिनांक :24-9-15

परिपत्र

विषयः दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को वर्ष 2015–16 के लिये छात्रवृत्ति देने के संबंध में ।

दिल्ली जल बोर्ड के समस्त स्थायी/अस्थायी कर्मचारी जो 'सी' व 'डी' श्रेणी के अंर्तगत आते हैं तथा जिन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में लगातार 3 वर्ष की सेवा–अवधि पूरी कर ली है (दैनिक वेतन भोगी एवं मस्ट्रोल कर्मचारी के संबंध में पूर्व तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों की हाज़री अनिवार्य है) से, उनके 'अविवाहित' आश्रित शिक्षारत पुत्र/पुत्रियों हेतु वर्ष 2015–16 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । जिन श्रेणी 'सी' व 'डी' के कर्मचारी विभाग से शिक्षा शुल्क की प्रतिपुर्ति लेते है वह कर्मचारी भी अपने प्रथम दो बच्चों के छात्रवृत्ति का आवेदन कर सकते है।

छात्रवृत्ति छठी कक्षा या उससे उच्च स्तर पर किसी भी कक्षा/कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर डिग्री के लिए दी जायेगी। सभी कक्षाओं में न्यूनतम प्राप्तांक आवश्यक है :–

क.स.	कक्षा	न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांक
1.	कक्षा छठी से बाहरवी	(अ) लडके–80 प्रतिशत व अधिक (ब) लडकियॉ–70 प्रतिशत व अधिक
2.	डिप्लोमा कोर्स व आई.टी.आई.	उपरोक्त
3.	सभी श्रेणी एवं अन्य	
क	बी.आई.एम.एस., बी.डी.एस.,बी.टेक, एम.बी.बी.एस, डाक्टर इन फारमैसी,स्नातक, आर्युवैदिक व होम्योपैथिक, सी. ए, एवं एल.एल.बी.	(अ) लडके–60 प्रतिशत व अधिक (ब) लडकियॉ–50 प्रतिशत व अधिक
ख	एम.डी., एम.एस, एम. टेक., एम सी ए, एम. बी. ए, एल. एल. एम, एवं स्नातकोत्तर	
ग	पी.एच.डी.	

छात्रवृति आवेदन संलग्न निर्धारित प्रपत्र में **श्रम कल्याण विभाग में 31.10.2015 तक अवश्य पहुँच जाने चाहिये। देर से प्राप्त होने वाले अथवा अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रार्थना–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।** निर्धारित फार्म की 2–2 प्रतियॉ संलग्न हैं । आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारी इनकी अतिरिक्त प्रतियॉ अपने कार्यालय में फोटोकापी कराकर संबंधित कर्मचारियों में वितरित कर सकें। छात्रवृत्ति निर्धारित नियमानुसार ही दी जायेगी ।

विभागाध्यक्ष केवल उन्हीं कर्मचारियों के प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय को भेजें जो उपरोक्तानुसार शर्तो को पूरा करते हों। आवेदन डी.डी.ओ. के माध्यम से ही श्रम कल्याण विभाग में ही स्वीकार किये जायेंगे ।

गत् वर्ष के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कर्मचारियों को इस पत्र के बारे में समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वे समय पर आवेदन नहीं कर सके। अतः सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र के बारे में अधीनस्थ कर्मचारियों को पूरी तरह से जानकारी दी जाये तथा कार्यालयों/स्टोर्स आदि पर इसकी प्रतियॉ कर्मचारियों के सूचनार्थ नोटिस–बोर्ड पर दर्शाया जाये। **यदि किसी कर्मचारी को इस बारे में सूचना नहीं मिल पाती और निर्धारित तिथि के पश्चात् उसका फार्म प्राप्त करने की तिथि तक जमा न होने की स्थिति में उसका फार्म अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।**

गोवर्धन दयाल

(जी दयाल)
सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

सभी विभागाध्यक्ष

प्रति कृपया सूचनार्थ :

1. सदस्य प्रशासन /सदस्य वित्त / सदस्य जलापूर्ति / सदस्य ड्रेनेज
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. निदेशक प्रशासन एवं कार्मिक/ निदेशक राजस्व/ निदेशक वित्त एवं लेखा
4. मुख्य अभियंता सी–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/वाटर वर्क्स
5. परामर्शदात्री जन सम्पर्क – वरूण पत्रिका में प्रकाशनार्थ
6. सभी यूनियनें ।
7. **EE(EDP)** कृपया इन्टरनेट पर डाले

गोवर्धन दयाल

सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

Prog. I

7.X.15

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 31.10.2015

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार,
कार्यालय : सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण),
'बी' बिल्डिंग, वरूणालय, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में छात्रवृत्ति हेतू आवेदन पत्र।

आवश्यक सूचना : कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें!

1. आवेदन – पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 31.10.2015 हैं । इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
2. फार्म के अंत में डी.डी.ओ. के हस्ताक्षर 'मोहर सहित' होना अनिवार्य हैं ।
3. यदि छात्र चालू वित्त वर्ष 2015–2016 में नहीं पढ़ रहा है तो वह छात्रवृत्ति का हकदार नहीं होगा । अतः ऐसे कर्मचारी छात्रवृत्ति फार्म न भरें ।
4. **अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण** आवेदन–पत्र बिना किसी सूचना के रदद समझे जायेंगे ।
5. पहले व दूसरे बच्चे के फार्म एक साथ लगाकर भेजे जायें ।
6. * जो लागू न हो उसे काट दें।

छात्रवृत्ति – 2015–16 के लिए आवेदन

खण्ड (क) : आवेदक / कर्मचारी का विवरण :–

1	कर्मचारी का नामः	कर्मचारी कोड न. / पी. एफ. न.	2.	पिता का नाम	
3	पदः		4	विभागीय पता	
5	ग्रेड पे (31 मार्च 2015 को)		6	नियमित नियुक्ति की तिथी	
7	नियुक्ति की प्रकृति	वर्ष हाजरी 2014–15 2013–14 2012–13	8	नियमित / मस्ट्रोल'	
9	मस्ट्रोल के संबंध में पिछले तीन वर्षों की हाजरी का विवरण		10	मोबाईल नं.	
11	कार्पोरेशन बैंक की शाखा संख्या का नाम व कोड		12	कर्मचारी का खाता संख्या	

खण्ड (ख) परिवार का विवरण :

क्र. सं	.आश्रित सदस्य का पूरा नाम	संबंध	आयु

खण्ड (ग) छात्र/छात्रा का विवरण जिसके लिए आवेदन किया है :

1	**छात्र/छात्रा का नाम :**		2	**कक्षा :**	
3	**गत् वर्ष 2014–15 में उर्तीण की गई परीक्षा का विवरण :**	कुल अकः प्राप्तांक : प्रतिशत :	4	**वर्ष 2015–16 में अध्यनरत कक्षा का विवरण।**	
5	प्राप्त छात्रवृत्ति/**stipend/salary or any other financial support** का विवरण				र

घोषणा :

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि :–

1. उपरोक्त दी गई सूचनायें पूर्णतः सत्य हैं
2. उपरोक्त छात्र/छात्रा जिसके लिए आवेदन किया गया है मेरे प्रथम दो बच्चों में से एक हैं जो कि पूर्णतः मुझ पर आश्रित हैं।
3. उपरोक्त छात्र/छात्रा ने गत वर्ष 2014–15 पूर्ण कालीन सत्र में मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलेज/शिक्षण संस्थान से अध्ययन पूर्ण किया है तथा वर्तमान सत्र में भी शिक्षारत है।
4. उपरोक्त बच्चे के संबंध घोश्शणा करता हॅ यदि मुझे इस छात्रवृति की प्राप्ती के उपरांत किसी अन्य स्त्रोत से भी छात्रवृति/ **stipend/salary or any other financial support** होती है तो मैं दिल्ली जल बोर्ड से प्राप्त छात्रवृति को 30 दिन के अंतर्गत वापिस कर दूँगा।

क्रम स.	संलग्न		
1.	वर्ष 2014–15 की अंक तालिका		
2.	2015–16 के सत्र में प्रवेश के भुगतान की रसीद		
3.	कार्पोरेशन बैंक जिसमें छात्रवृति हस्तांतरित की जानी है के कैंसल चेक की प्रति/पासबुक के प्रथम दो पृष्ठों की छाया प्रति		
4.	मेडिकल कार्ड की छायाप्रति		
5	मार्च 2015 की वेतन तालिका	कर्मचारी के हस्ताक्षर	

कृ.पृ.उ.

शैक्षिक संस्थान के प्रधानाचार्य की घोषणा :–

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त "खण्ड ग" में दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य हैं। हमारा विद्यालय/कॉलेज/शिक्षण संस्थान भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जिसमें उपरोक्त छात्र/छात्रा द्वारा गत वर्ष 2014–15 में सरकार द्वारा मान्य कोर्स/शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत पूर्ण कालीन सत्र में से अध्ययन पूर्ण किया है। विद्यालय से उपरोक्त छात्र/छात्रा को छात्रवृति, stipend/salary or any other financial support नहीं दी गई है।

हस्ताक्षर :

प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक की मोहर :

विभागाध्यक्ष की घोषणा :–

क. मैंने जॉच कर ली है व कार्यालय रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त "खण्ड क व ग" में दिये गये सभी विवरण सही है और श्री/श्रीमति ....का 31 मार्च 2015 को ग्रेड पे रूपये .... था और उसने सेवा में लगातार .... वर्ष/दिन पूरे कर लिये है ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर ....

निवास स्थान : ....

....

....

हस्ताक्षरः

विभागाध्यक्ष की मोहरः

दिनांकः

स्थान :

सहायक आयुक्त (श्रम कल्याण)

दिल्ली जल बोर्ड, मुख्यालय "बी" बिल्डिग